



कार्यालय प्राचार्य डॉ.मनराखन लाल साह शासकीय महाविद्यालय जामुल
भिलाई जिला दुर्ग

Email id - mlsjamulcollege@gmail.com

कमांक/505/स्था./2025

जामुल दिनांक 03.11.2025

अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक 289/01/आउशि/राज.स्था./2025 नवा रयापुर अटल नगर दिनांक 23.07.2025 एवं छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय पत्र कमांक ESTB-1027/1216/2025/38-1 दिनांक 23.07.2025 के परिपालन में शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु महाविद्यालय में अध्यापन व्यवस्था के लिए सहायक प्राध्यापक के रिक्त पद के विरुद्ध नीचे लिखे विवरण अनुसार अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु दिनांक 10.11.2025 समय 5.00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/कोरियर/स्वयं द्वारा जमा कर सकते हैं। ईमेल से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

रिक्त पदों का विवरण

क्र.	विषय	पद संख्या
1	इतिहास	01

शर्त :-

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली व उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन रायपुर द्वारा निर्धारित योग्यताएं मान्य होगी एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार मेरिट सूची के आधार पर चयन किया जावेगा।
- प्रति व्याख्यान रुपये 500.00/350.00 (पांच सौ/तीन सौ पचास रुपये) जो प्रतिदिन अधिकतम 2000.00/1400.00 रु तथा प्रतिमाह 50000.00/35000.00 (पचास हजार /पैंतीस हजार रु मात्र) की सीलिंग के अधीन होगी।
- अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएं भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे।
- अतिथि व्याख्याता किसी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं वे लोक सेवा के विहित परिभाषा के अंतर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
- चयनित उम्मीदवार के विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण लंबित न हो तथा वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अंशासकीय सेवा में न हो इस बाबत शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा। अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नहीं कर सकेगा।
- नियमित नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण तथा शासन की अन्य व्यवस्था के तहत प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक की पदस्थापना होने पर अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, जाति /निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

Shashi
प्राचार्य
डॉ. मनराखन लाल साह, शासकीय महाविद्यालय,
जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग

विषय/पदों का विवरण :-

क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संख्या				
		प्राध्यापक	सह-प्राध्यापक	सहा.प्राध्यापक	ग्रंथपाल	क्रीड़ाधिकारी
1.	<i>History</i>	-	-	02	-	-
2.						

टीप :- संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्त :-

- आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल./पी-एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- दिनांक 10.11.2025 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
- अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
- प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 12.11.2025 को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा। महाविद्यालयों की वेबसाइट नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाइट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।
- गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 14.11.2025 तक होगी।
- अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 15.11.2025 को किया जावेगा जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाइट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
- आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं।
- आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :-

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ)	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये		
1	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400 / -	300 / -
2	चार कालखंडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600 / - (41,600 / - प्रतिमाह अधिकतम)	1200 / - (30,000 / - प्रतिमाह अधिकतम)
(ब)	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये		
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500 / -	350 / -
4	चार कालखंडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000 / - (50,000 / - प्रतिमाह अधिकतम)	1400 / - (35,000 / - प्रतिमाह अधिकतम)
(स)	दैनिक मानदेय		
5	विवरण	अतिथि ग्रंथपाल / क्रीड़ा अधिकारी	अतिथि ग्रंथपाल सहायक / अतिथि क्रीड़ा सहायक
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	1600 / - प्रतिदिन (40,000 / - प्रतिमाह अधिकतम)	1200 / - प्रतिदिन (30,000 / - प्रतिमाह अधिकतम)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता विश्वविद्यालय/प्राचार्य, डॉ. मनराजन

स्नातक शास्त्र. भा. साधु किराट ५५५ आवेदित विषय / पद आवश्यक रूप से लिखे।

12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहलायेंगे।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

Shashi
31/11/25
प्र. संस्था प्रमुख
विश्वविद्यालय / महाविद्यालय का नाम
जिला - पुणे (छ.प.)....